THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Consequent upon Government's decision to appoint a new Foreign Secretary, Shri A. P. Venkateswaran's request for voluntary retirement from Service was acceded to. There is no general demoralisation among Government Officials.

भारतीय उच्चायोगों/दूतावासों में हिन्दी में कार्य

696. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य दूतावासों में से कितनों में 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ; और कितने देशों में भाषान्तरों, आशुलिपिकों, टंककों और टाइपराइटरों की पर्याप्त व्यवस्था है तथा कितने देशों में ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(ख) वहां पर पुस्तकालयों और हिन्दी के मौलिक संदर्भ ग्रन्थों की उपलब्धता की क्या स्थिति है जिससे कि विदेशी तथा भारतीय हिन्दी सीख सकें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हमारे मिशन अपने सरकारी कामकाज में नियमित रूप से हिन्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मिशन मुख्यालय के साथ कभी-कभी पत्राचार करते समय हिन्दी का प्रयोग करते है, विशेष रूप से हिन्दी का प्रचार किये जाने से सम्बद्ध विषयों में। इसके अलावा कुछ मिशनों में प्रचार संबंधी कुछ कार्य भी हिन्दी में किया जा रहा है। हमने हिन्दी के टाइपराइटर तकरीबन सभी मिशनों को मुहैया कर दिये है । विदेशों में स्थित हमारे कुछ मिशनों में हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टंककों की भी नियुक्ति की गई है ।

(ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों के पुस्तकालयों में हिन्दी खण्ड भी है। हम अपने विदेश स्थित मिशनों को नियमित रूप से भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास जैसे विषयों पर हिन्दी की पुस्तकें भेजते रहते है ताकि हिन्दी पुस्तकों का एक मानक संग्रह तैयार हो सके और उन्हें हिन्दी के प्रचार में लगे स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों/व्यक्तियों को दान भेंट स्वरूप भी दिया जा सके ।

Amendment of Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act, 1983

697. SHRI CHITTA BASU:
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a set of proposals have been made by the Government of Assam for the amendment of Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act, 1983;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) Yes, Sir.

(b) The important proposals are—

(i) that, each Tribunal should have only one member as against three members at present;

(ii) that, in case of private complaints the provisions (a) requiring the applicant to be residing within 3 KMs from the place of residence of the person in relation to whom the application for being declared an illegal migrant is made, and (b) requiring payment of fee of Rs. 25/- with every complaint, should be deleted;

(iii) that, in case where a question arises whether a person is an illegal migrant or not, the burden of proof should lie on such person; and